न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 166 सन 2018
अनवान :–

1. गणपतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. भादर 3 गिरधारी 4 गोरखाराम 5 निराणी 6 परमेश्वरी 7 सरबती पुत्र /पुत्रीयान सुरजाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31/12/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि वादी के पिता सुरजाराम को रोही मौजा सिरगसर के साबिका खसरा न0 214 की 25.00 बीधा भूमि दिनांक 19.7.1968 को पुख्ता आबंटित की गई थी जो खसरा परिर्वतन होकर हाल खसरा न0 102 की 3.9970हैक , 1022 की 2.7320 ,1112 की 0.8350 कुल 7.5640हैक में पैमुद हो चुकी है जो आवंटन होने के बाद से लगातार पहले वादी के पिता एवं वर्तमान में वादी व उसके परिवार के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 जायज वारिसान है जिसका वादी खातेदार काश्तकार हो गया है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है वादी अपनी आवंटिन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहतें है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे।

आंवटी वादी के पिता सुरजाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया गया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज का जबाब तलब लिया गया पैराकार राज ने अपने जबाब में निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता को दिनांक 19.07.1968 को आवंटित की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है जिसकी किमतन ही खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोट नोहर में पेश हुई व उभयपक्षों को सुना गया

हमने उभयपक्ष को सुना पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी के पिता सुरजाराम को वाद भूमि रोही मोजा सिरगसर के साबिका खसरा न0 214 की 25.00 बीधा भूमि दिनांक 19.07.1968 को पुख्ता आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है भु0 प्रबन्ध विभाग के द्वारा गत पैमाईश में साबिका खसरा न0 214 की 25.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 1021/3.9970 , 1022/2.7320 , 1112/0.8350 कुल 7.5640हैक भूमि में पैमुद हुई है जो मिलान क्षैत्रफल से साबित है। परोकार राज के कथनों के अनुसार जो भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आंवटन की गई है वह किमतन आवंटन/ खातेदारी दी जा सकती है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment"

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरगसर के साबिका खसरा न0 275 मीन की 25.00 बीघा हाल खसरा न0 1022/2.328 , 1021/3.9970 कुल 6.325 हैक बारानी भूमि वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सिरगसर में सुनाया गया

Sanjay
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official